न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 25/2025 बजनवानी गिर्राज प्रसाद गोयल बनाम लो.सू.अधि.एवं अति.जिला कलेक्टर,स0मा0 एडवोकेट कलेक्ट्रेट परिसर सवाईमाधोपुर

GCMS No-2025/98

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
24.4.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 3.2.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *दिनांक 19.9.1949 वाहिद हुसैन के क मूल फाईल,दिनाकंक 6.6.1945 अब्दुल बर बनाम मो. हुसैन की वसीयत की नकल आदेश फैसला 21.12.1950, दिनांक 6.4.1955 शरणार्थी थानाराम पुत्र जुगलदास शरणार्थी पाकिस्तान, अब्दुल रब बनाम अब्दुला कादर दिनांक 4.8.1955 का फैसला,नकल दिनांक21.6.1955 हिण्डौन नाजिम का फैसलना हसन अली, मकसुद अली बनाम मो0 हुसेन, नकल दिनांक 31.7.1959 हिण्डौन नाजिम का फैसला हसन अली मकसुद अली बनाम मो0 हुसेन की प्रमाणित सूचना"* अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर स0मा0 को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकःएफ.13(01)(13)/सूकाअ/2025/433 दिनांक 22.04.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 3.2.2025 से संबंधित सूचना प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग से चाही जाने पर प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा अपने पत्रांक प.3(9)()सू. का.अधि,2005/2023/749 दिनांक 17.2.2025 से अवगत कराया कि उक्त सूचना राजस्व अनुभाग मे संघारित नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। जिसके संबंध मे लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 181 दिनांक 20.2.2025 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि राजस्व अनुभाग मे उक्त सूचना संघारित नही होने से अपीलान्ट को दिया जाना सम्भव नही है। प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर पुनः उक्त सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाये जाने के संबंध मे जरिये पत्रांक 373–76 दिनांक 8.4.2025 से प्रभारी अधिकारी, राजस्व/सामान्य/न्याय/जिला अभिलेखागार (राजस्व/भू0अभिलेख) से रिपोर्ट तलब की जाने पर सभी अनुभागो से उक्त सूचना उनके अनुभाग से संबंधित नही होने अथवा अनुभाग मे उपलब्ध नही होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट को उक्त सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 3.2.2025 को प्रेषित प्रार्थना मे चाही गयी सूचना के संबंध मे प्रभारी अधिकारी राजस्व/सामान्य/न्याय/जिला अभिलेखागार (राजस्व/भू0अभिलेख) से तलब की गयी रिपोर्ट के अनुसार उक्त सूचना से संबंधित रिकार्ड उक्त अनुभागो मे संघारित नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है जिसके संबंध मे लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर ... हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Shubham Chaudhary Date: 2025.06.25 18:11:03 IST Reason: SelfAttested (... चौधरी) ... कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner